मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक- 4

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 (अग्रहायण 4, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. पृच्छा

सदन की कार्यवाही में व्यवधान

श्री हुकुम सिंह कराड़ा सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय से प्रतिपक्ष की बात सुने जाने का अनुरोध किया गया. जिस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नकाल के तत्काल बाद अवसर दिये जाने हेतु आश्वस्त किया. परन्तु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण आसनों से अपनी बात कहते रहे.

(सदन की कार्यवाही 10.33 बजे से 30 मिनिट के लिये स्थगित होकर 11.04 बजे पुन: प्रारम्भ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(विपक्षी सदस्य अपने आसन से लगातार अपनी बात कहते रहे जिसके कारण प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सके)

सदन की कार्यवाही 11.07 बजे स्थगित होकर 11.30 बजे पुन: प्रारम्भ हुई.

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम 130 के अधीन दिए गए प्रस्ताव को आसंदी द्वारा नियम 132 एवं 134 के अनुकूल न होने के कारण अग्राह्य किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा उप नेता प्रतिपक्ष, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा नियम 130 के तहत दिये गये प्रस्ताव की ग्राह्यता पर मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियम 132 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया कि—

''कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिये वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्—

(1) उसमें सारत: एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा,
(2) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक, पद, लांछन, या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे,
(3) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत को छोड़कर उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा,
(4) वह हाल ही में घटित विषय तक निर्बन्धित रहेगा,
(5) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,
(6) उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं चलाई जायेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो,
(7) उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो,
(8) वह किसी ऐसे, विषय से संबंधित नहीं होगा जो मध्यप्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो.''.

इसके साथ ही नियम-134 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि—

''साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो.''

यह बताया भी गया है कि यह प्रकरण न्यायालय तथा लोकायुक्त संगठन, जो कि अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाली सांविधिक संस्था है, के यहां जांच में लंबित है.

इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में यदि इस विषय पर प्रस्ताव ग्राह्य करके चर्चा कराई जाती है तो वह मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 132 तथा 134 के अनुरूप नहीं होगा और नियमों के प्रतिकूल होगा.

अत: मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ और इस प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूँ.''.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के व्यवधान के बीच सदन की कार्यवाही भी चलती रही.)

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नोत्तर, नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 97 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 113 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार—

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के अस्पतालों में आई. सी. यू. ईकाईयों में कमियां होने,
(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर के रामदास घाटी से घोसीपुरा मार्ग जर्जर होने,
(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद में नियम विरुद्ध शाला शिक्षकों की नियुक्ति होने,
(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी लहार, जिला भिण्ड के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को परेशान किये जाने,
(5) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले में चंबल दाहिनी मुख्य नहर राजस्थान द्वारा समझौते अनुसार पानी न छोड़े जाने,
(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ बानपुर रोड की हालत जर्जर होने,
(7) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की मुंगावली नगर के अस्पताल में स्टाफ की कमी होने,
(8) श्री ब्रजमोहन धृत, सदस्य की कन्नोद खातेगांव में पुलिस बल का अभाव होने,
(9) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की बैरागढ़ में स्टील फर्नीचर फैक्ट्री से रहवासियों को परेशानी होने तथा
(10) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य की रायसेन स्थित छीन्द हनुमान मंदिर मार्ग जर्जर होने.

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गई.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने—

(क) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-2009, तथा

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :—

(i) वित्त लेखे, वर्ष 2009-2010 खण्ड 1 व खण्ड 2, तथा
(ii) विनियोग लेखे, वर्ष 2009-2010,

पटल पर रखे.

(2) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 83 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिये) पटल पर रखा.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1931) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :—

(क) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03, तथा

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-1998, 1998-1999 तथा 1999-2000

पटल पर रखे.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे)

6. ध्यानाकर्षण

सदन के गर्भगृह में विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यवधान करने के कारण ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं पढ़ी जा सकीं.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार —

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दशम् प्रतिवेदन एवं लोक लेखा समिति का 89वां से 105वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया माना गया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार —

(1) श्री गिरीश गौतम, सदस्य की रीवा जिले के —

(क) ग्राम धवैया के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम खैरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ग) नवांगांव शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम कुलबहेरिया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ङ) ग्राम सूजी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(च) ग्राम अमोखर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(छ) ग्राम रामपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ज) ग्राम अमोखर में पशु औषधालय खोले जाने,

(झ) ग्राम शाहपुर में शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने,

(ञ) ग्राम डगडौवा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने तथा

(ट) ग्राम सिरसा में सामुदायिक भवन खोले जाने,

(2) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना जिले के —

(क) ग्राम पहाड़ीखेत में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने तथा

(ख) ग्राम अमरछी एवं बरेली में पेयजल व्यवस्था हेतु ग्रेवल बोर मशीन उपलब्ध कराये जाने,

(3) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर की सिंचाई कालोनी स्थित अनगढ़ टोरिया पहुंच मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने,

(4) श्री अलकेश आर्य, सदस्य की बैतूल जिले के कृषि उपज मंडी बैतूल में कृषकों को गुड़ बेचने की व्यवस्था किये जाने,

(5) श्री मोहन शर्मा, सदस्य की राजगढ़ जिले के —

(क) ग्राम बावड़ीखेड़ा, गनियारी, चोमा, कांसरोद, धनखेड़ी के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम झाडला, जामुनिया चौहान, सींका, पीपल्यारसोड़ा, लश्करपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

(ग) नगर तलेन में बुर्दा नेवज पर बैराज एवं स्टाप डेम निर्माण किये जाने तथा

(घ) नरसिंहगढ़ अंतर्गत बोड़ा नरसिंहगढ़ मार्ग से भैंसाना तक सड़क निर्माण कराये जाने एवं

(6) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले के —

(क) ग्राम बम्होरी में माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम हरैया के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम कलहरा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम काटी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ङ) ग्राम रजरवारा नं.-1 के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(च) ग्राम बुजबुजा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(छ) ग्राम नदावन के हाईस्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ज) ग्राम घंघरौटा प्लाट के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(झ) ग्राम बिचपुरा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी मानी गईं.

9. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह ''नागौद'' लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 19 मार्च, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 892) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 29 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही).

11. वर्ष 2010-2011 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदन की परम्परानुसार अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—

''दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 78 तथा 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छः हजार चार सौ बयासी करोड़, चौवन लाख, इक्यासी हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.''.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक 30 सन् 2010) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाये.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक 30 सन् 2010) पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, 2010 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए सदन में पुर:स्थापित विधेयक को नियमावली के नियम 65 की अपेक्षाओं को शिथिल करते हुए आज ही विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 29 सन् 2010) विधेयक पर विचार किया जाये.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 29 सन् 2010) पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

13. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(सदन में व्यवधान के कारण चर्चा प्रारंभ नहीं हुई.)

14. निंदा प्रस्ताव एवं विशेषाधिकार भंग की सूचना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि उन्होंने सुश्री कल्पना परूलेकर द्वारा आज किये गये अशोभनीय व्यवहार के लिये निंदा प्रस्ताव एवं विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं इस पर नियमानुसार कार्यवाही करूंगा.

(गर्भगृह में आये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण लगातार नारेबाजी करते रहे).

15. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान ''**जन-गण-मन**'' का समूह गान किया गया.

पूर्वाह्न 11.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा